फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री करण हरिजन निवासी गांव टाडावाड़ा सोलंकियां, लाम्बोड़ी तहसील गढ़बोर जिला कुंभलगढ़ **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 25/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 27.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से जरिये पृष्ठांकित पत्र क्रमांक :– कोर्ट–रीडर/2025/1001 दिनांक 06.05.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय विकास अधिकारी पंचासत समिति कुंभलगढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र जरिये पत्र क्रमांक कोर्ट–रीडर/2025/1001 दिनांक 06.05.2025 से विकास अधिकारी पंचायत समिति कुंभलगढ़ को भिजवाया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बाबत प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये क्रमांक कोर्ट–रीडर/2025/1001 दिनांक 06.05.2025 से विकास अधिकारी पंचासत समिति कुंभलगढ़ को भिजवाया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से संबंधित नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक कोर्ट–रीडर/2025/1001 दिनांक 06.05.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का मूल प्रार्थना पत्र संबंधित कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति कुंभलगढ़ को भिजवा दिया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का मूल प्रार्थना पत्र कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति कुंभलगढ़ को भिजवा दिया जाने और लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार नही होने से उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)